


आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई एवं तिथि
1	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार कुशल गागराई, पिता- स्व० रघु गागराई ग्राम- कुमारडुँगी थाना- कुमारडुँगी, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड का नीलाम पत्र वाद सं० 104(Adv)/70-71 के नाम से नोटिस तामिला किया गया। देनदार से नीलाम पत्र की राशि मुलधन-1300.00 ब्याज-1456.00 लगत-4.50 कुल-2760.50 रूपये बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अन्तर्गत वसूली कर ली गयी है। अतः अभिलेख की आगे की कार्रवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">  29/08/22 नीलाम पत्र पदाधिकारी, कुमारडुँगी। </p>	